न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(आर.सी.ढेनवाल, आई.ए.एस द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 17/2018
प्रविष्टि दिनांक 18.01.2018

रामफूल पुत्र गोपीलाल जाति गुर्जर निवासी सीपुरा तहसील निवाई जिला टोंक राज0

अपीलान्ट

बनाम

जिला रसद अधिकारी टोंक राजस्थान।

रेस्पो0

अपील विरूद आदेश दिनांक 30.11.2017 जिला रसद अधिकारी टोंक

उपस्थितिः—

1. श्री जितेन्द्र कुमार जैन,अभिभाषक —अपीलान्ट
2. पेराकार सरकार —रेस्पाडेन्ट

निर्णय दिनांक 08.08.2018

अपील ,अपीलान्ट का सांराश इस प्रकार है कि जिला रसद अधिकारी टोंक ने आदेश दिनांक 30.11.2017 से श्री रामफूल गुर्जर,उचित मूल्य दुकानदार ग्राम श्रीरामपुरा उर्फ नयागांव तहसील निवाई का प्राधिकार पत्र की शर्तो का उल्लंघन मानते हुए प्राधिकार पत्र को निरस्त किये जाने पर उक्त आदेश से अपीलान्ट व्यथित होकर अपील प्रस्तुत की है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पाडेन्ट की गई तथा अपीलाधीन आदेश की पत्रावली तलब की गई।

हमने बहस विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट व पेरोकार सरकार सुनी। अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट द्वारा प्रस्तुत जवाब व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का सही तरह से विवेचन किये बिना ही निर्णय पारित किया गया है,उक्त प्रकरण मे अपीलांट ने मुख्य अनियमिताये यह थी कि जांच के समय भौतिक सत्यापन मे 17.56 क्विटल गेहूँ कम व 126 लीटर केरोसीन अधिक पाया गया।अपीलांट द्वारा उक्त अनियमिताओ के संबंध मे अपना जवाब प्रस्तुत कर कहां कि अपीलांट के पास दो दुकाने ग्राम श्रीरामपुरा उर्फ नयागांव व सीपुरा मे होने पर उचित मूल्य सामग्री का गेहूँ ग्राम सीपुरा की दुकान पर उतरवाता था,माह अक्टूबर 2016 से अगस्त 2017 तक व रास्ता कच्चा होने के कारण के.वी.एस.एस. की गाडी नही पहुचती थी,जिसको ट्रेक्टर द्वारा दो बार मे सीपुरा से श्रीरामपुरा उर्फ नयागांव ले जाया जाता था। अपीलांट की सीपुरा की दुकान पर 17.56 क्विटल गेहूँ उपलब्ध है।अपीलांट द्वारा किसी भी प्रकार से गेहूँ का गबन नही किया गया है तथा केरोसीन शुरू से ही ग्राम सीपुरा की दुकान पर उतराता आ रहा है,जिसको ट्रेक्टर द्वारा श्रीरामपुरा उर्फ नयागांव ले जाया जाता था। दोनो मशीन 13023 व 2702 का जितना गेहूँ व केरोसीन प्राप्त हुआ,मिलान करने पर स्टॉक सही है,आपातकालीन स्थिति का केरोसीन 126 लीटर श्रीरामपुरा उर्फ नयागांव मे ज्यादा चला गया,जबकि कालाबाजारी करने की कोई नियत नही थी तथा श्रीरामपुरा उर्फ नयागांव मे गेहूँ का उठाव

जिला कलेक्टर

नही किया,मशीन की टेक्निकल कमजोरी होने के कारण हुआ है।अपीलांट द्वारा राज0 खाद्यान व अन्य आवश्यक पदार्थ वितरण विनियम आदेश 1976 के किसी भी नियम व शर्त का उल्लधंन नही किया,क्योकि जो ऋृटि या भूल हुई है वह दो राशन की दुकानो का भार एक ही व्यक्ति पर होने से सद्भावपूर्वक हुई है। अपीलाण्ट द्वारा किसी भी आदेश की शर्तो का उल्लधंन नही किया गया है। जिला रसद अधिकारी द्वारा गलत निर्णय पारित किया गया जिसे निरस्त किया जावे।

पेरोकार सरकार ने जवाबी बहस में कथन किया कि दिनांक 13.09.2017 को शिकायत की विस्तृत जांच करने पर क्रय–विक्रय सहकारी समिति निवाई से डीलर को माह मार्च 2017 से अगस्त 2017 तक कुल 257.56 क्विटल गेहूॅ की आपूर्ति की गई थी एंव पॉस मशीन से ऑन–लाईन 1मार्च 2017 से जुलाई 2017 तक कुल 219.35 क्विटल गेहूॅ का वितरण करना पाया गया।इस प्रकार निरीक्षण दिनांक 26.08.2017 को मौके पर 38.06 क्विटल गेहूॅ होना चाहिए,जबकि भौतिक सत्यापन करने पर दुकान मे केवल 20.50 क्विटल गेहूॅ ही पाया गया। इस प्रकार गेहूॅ का 17.56 क्विटल गेहूॅ कम पाया गया,उक्त संदर्भ मे उचित मूल्य दुकानदार ने उक्त गेहूॅ सीपुरा स्थित मूल दुकान मे होना बताया है जिसे राजहित मे अटेच दुकानदार को सम्भलाया गया है। केरोसीन के स्टॉक रजिस्टर मे दिनांक 23.07.2017 को केरोसीन को अंतिम स्टॉक 99 लीटर दर्ज पाया गया। इस दुकान की पॉस मशीन संख्या 13023 की डिटेल दिनांक 23.07.2017 से 26.08.2017 के बीच 40 लीटर केरोसीन का ऑन–लाईन वितरण करना दर्ज पाया गया। इस प्रकार केरोसीन का स्टॉक 59 लीटर होना चाहिए था लेकिन भौतिक सत्यापन पर 185 लीटर पाया गया जो स्टॉक से 126 लीटर अधिक पाया गया। इस प्रकार अपीलांट द्वारा वक्त जांच राशनकार्डो की जांच करने पर डीलर द्वारा 13.75 क्विटल गेहूॅ,41.5 किलोग्राम चीनी तथा 127 लीटर केरोसीन की कालाबाजारी कर गबन करना पाया गया। अपीलाण्ट द्वारा प्राधिकार पत्र की शर्तो का उल्लधंन करने पर प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया। अतः अपील अपीलाण्ट निरस्त की जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट व पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया तथा अपीलाधीन आदेश की पत्रावली एवं दस्तावेजात का अध्ययन किया। श्री रामफूल गुर्जर,उचित मूल्य दुकानदार ग्राम श्रीरामपुरा उर्फ नयागांव तहसील निवाई की शिकायत की दिनांक 13. 09.2017 को दौराने जांच क्रय–विक्रय सहकारी समिति निवाई से डीलर को माह मार्च 2017 से अगस्त 2017 तक कुल 257.56 क्विटल गेहूॅ की आपूर्ति की गई थी एंव पॉस मशीन से ऑन–लाईन 1मार्च 2017 से जुलाई 2017 तक कुल 219.35 क्विटल गेहूॅ का वितरण करना पाया गया।इस प्रकार निरीक्षण दिनांक 26.08.2017 को मौके पर 38.06 क्विटल गेहूॅ होना चाहिए,जबकि भौतिक सत्यापन करने पर दुकान मे केवल 20.50 क्विटल गेहूॅ ही पाया गया। इस प्रकार स्टॉक मे 17.56 क्विटल गेहूॅ कम पाया गया। केरोसीन के स्टॉक रजिस्टर मे दिनांक 23.07.2017 को केरोसीन को अंतिम स्टॉक 99 लीटर दर्ज पाया गया। इस दुकान की पॉस मशीन संख्या 13023 की डिटेल दिनांक 23.07.2017 से 26.08.2017 के बीच 40 लीटर केरोसीन का ऑन–लाईन वितरण करना दर्ज पाया गया। इस प्रकार केरोसीन का स्टॉक 59 लीटर होना चाहिए था लेकिन भौतिक सत्यापन पर 185 लीटर पाया गया जो स्टॉक से 126 लीटर अधिक पाया गया। वक्त जांच राशनकार्डो की जांच करने पर डीलर द्वारा 13.75 क्विटल गेहूॅ,41.5 किलोग्राम चीनी तथा 127 लीटर केरोसीन की कालाबाजारी कर गबन करना पाया गया। अभिभाषक अपीलांट ने दोराने बहस निवेदन किया कि गेहूॅ से भरी गाडी रास्ता खराब होने के कारण उचित मूल्य की दुकान पर नही जाती है। पेरोकार

जिला कलेक्टर
टोंक

सरकार ने तर्क दिया कि हमेशा ही क्रय–विक्रय सहकारी समिति की गेहूँ से भरी गाडी उचित मूल्य की दुकान पर जाती रही है। अपीलार्थी का यह भी कथन है कि प्रकरण मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करने से पूर्व प्रस्तुत जवाब व दस्तावेजात का सही तरह से विवेचन नही किया गया जबकि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली से जाहिर है कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब का अवलोकन करने के बाद ही निर्णय पारित किया गया है,जवाब का उल्लेख अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय मे है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किया गया है। जिला रसद अधिकार टोंक ने अपीलाण्ट द्वारा राज0 खाद्यान्न एंव अन्य आवश्यक पदार्थ(वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 2,5,8,11,15 17(ग) तथा 18 का उल्लधंन करने के कारण प्राधिकार पत्र को निरस्त किया गया। उक्त आदेश मे किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाकर जिला रसद अधिकारी टोंक का आदेश दिनांक 30.11.2017 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 08.08.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आर.सी.ढेनवाल)
जिला कलेक्टर,टोंक
जिला कलेक्टर
टोंक

जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान) सत्यमेव जयते